

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-आ/डीपीसी/अंग्रेजी(शिड्यूल-1)/2016-17 दिनांक-12.10.2021 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2016-17 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन सूची में सम्मिलित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवा	पदस्थापन स्थान	जिला	चयन वर्ष	जन्म तिथि	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम	चयन तिथि/चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	जिला
1	310	2007-08	मांगी लाल व030	राउमावि पांचेटिया, पाली	पाली	अजा	02-05-1964	PALI	2016-17	GOVT. SR SEC SCHOOL BAGOL, DESURI (221373)	PALI

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 09/02/2022 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 09/02/2022 परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में पुराने पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 09/02/2022 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवे कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण क फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का स्वतः ही पदोन्नति परित्याग मान लिया जावेगा।

सत्यमेव जयते

02
(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2020-21/वो-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) शिक्षा विभाग
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित पत्र लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक/कार्यालय/संस्था प्रधान
7. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

दिनांक- 01/02/2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-आ/डीपीसी/अंग्रेजी(शिड्यूल-1)/2014-15 दिनांक-17.01.2022 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2014-15 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन सूची में सम्मिलित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर उनका नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र सं	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	पदस्थापन स्थान	जिला	चयन वर्ग	जन्म तिथि	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम	चयन तिथि / चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	जिला
1	1726	1998-99	प्रमोद कुमार शर्मा व0अ0	रामावि गोर्धनपुरा, कोटा	कोटा	सामान्य	03-10-1972	kota	2014-15	GOVT. SR SEC SCHOOL BADA NAYA GAON (222234), HINDOLI	BUNDI

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 09/02/2022 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 09/02/2022 परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 10/02/2022 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का स्वतः ही पदोन्नति परित्याग मान लिया जावेगा।

सत्यमेव जयते

05

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2020-21/वो-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

दिनांक- 01/02/2022

- 1 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने में लिये अधिकृत होंगे।
- 5 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 6 संबंधित कार्मिक/कार्यालय/संस्था प्रधान
- 7 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी पद पर अंग्रेजी विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-आप/डीपीसी/अंग्रेजी(शैड्यूल-11/2020-21 दिनांक-10.09.2021 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2020-21 में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है -

क्र सं	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	पदस्थापन स्थान	जिला	चयन वर्ग	जन्म तिथि	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम	चयन तिथि / चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	जिला
1	11135	2011-12 शैड्यूल-11	संगीता मीणा व0अ0	राउमावि अयानी, पं. स. इटावा, कोटा	कोटा	अ.ज. जा.	10-07-1981	kota	01-04-2020	GOVT. SR SEC SCHOOL TALAB (224413) ITAWA	KOTA

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

09/02/2022 पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 09/02/2022 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 09/02/2022 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यभार करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 09/02/2022 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवे कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का स्वतः ही पदोन्नति परित्याग मान लिया जावेगा।

सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2020-21/वो-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

दिनांक- 01/02/2022

- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित क-2 लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- संबंधित कार्मिक/कार्यालय/संस्था प्रधान
- सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी पद पर अंग्रेजी विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-आ/डीपीसी/चयन आदेश/2020-21 दिनांक-12.10.2021 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2020-21 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है -

क्र सं	स्थायी वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	पदस्थापन स्थान	जिला	चयन वर्ग	जन्म तिथि	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम	चयन तिथि/चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	जिला
1	5238	2011-12 शैड्यूल -II	वीना नावरिया व0अ0	राउमावि कैथून, कोटा	कोटा	अ.जा.	05-03-1978	kota	01-04-2020	GOVT. SR SEC SCHOOL TEJAJI CHOWK KHATOLI (224430) ITAWA	KOTA

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

09/02/2022 पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 09/02/2022 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 09/02/2022 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 09/02/2022 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का स्वतः ही पदोन्नति परित्याग मान लिया जावेगा।

सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2020-21/वो-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

दिनांक-01/02/2022

- 1 सयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(मुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 संबंधित सयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करावें।
- 5 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 6 संबंधित कार्मिक/कार्यालय/संस्था प्रधान
- 7 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर